



उत्तर प्रदेश सरकार

2018-2019 के लिये

**अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें**

(दिसम्बर, 2018)

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयीं)

उत्तर प्रदेश सरकार
2018-2019 के लिये
अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें

(दिसम्बर, 2018)

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावनिक टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है । व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती । अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान-मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो । ऐसी माँग "प्रतीक मांग" कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है ।

2. वित्तीय वर्ष 2018–2019 की द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं । विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है । अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है । इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है । इसके अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान की मांग में "उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि" से स्वीकृत किए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, जिसका उल्लेख सम्बन्धित अनुदान के अन्तर्गत टिप्पणी में किया गया है । विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है ।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 805449.27 लाख हैं, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 340935.00 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 464514.27 लाख है । अनुपूरक मांग ₹ 805449.27 लाख में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिये ₹ 10500.00 लाख तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए ₹ 442.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन मांगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अग्रहायण 28, शक संवत्, 1940
तदनुसार
19 दिसम्बर, 2018

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण**

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था है –

"वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रूख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा । पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।"

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2018–2019 की प्रथम छमाही के आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2018–2019 की प्रथम छमाही के लिये पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।

वर्ष 2018–2019 की प्रथम छमाही हेतु पुनर्विलोकन रिपोर्ट –

(₹ करोड़ में)

मद	बजट अनुमान 2018–2019	महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आँकड़े 2018–2019 (30.09.2018 तक)	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1 राज्य का स्वयं का कर	122700.00	58295.94	47.51
2 करेतर राजस्व	28821.66	7098.04	24.63
3 केन्द्रीय करों में राज्यांश	133548.40	57876.97	43.33
4 केन्द्र सरकार से अनुदान	63549.31	19308.45	30.38
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (योग – 1, 2, 3 एवं 4)	348619.37	142579.40	40.9
5 उधार एवं अग्रिम की वसूली	5165.09	5151.53	99.74
कुल गैर उधार प्राप्तियाँ (योग – 1, 2, 3, 4 एवं 5)	353784.46	147730.93	41.76
(ब) व्यय			
6 राजस्व व्यय	321520.27	123404.07	38.38
7 पूंजीगत परिव्यय	74243.61	18317.62	24.67
8 उधार एवं अग्रिम	2073.90	1287.31	62.07
कुल व्यय (ऋणों का प्रतिदान छोड़कर) (योग – 6, 7 एवं 8)	397837.78	143009.00	35.95
(स) राजस्व बचत	27099.10	19175.33	70.76
(द) राजकोषीय घाटा(-)/बचत(+)	(-) 44053.32	4721.93	---

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

- 6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के समवर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी ।

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 805449.27 लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्राँश की धनराशि ₹ 501852.67 लाख को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि 303596.60 लाख रूपये है । इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेत्तर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों (द्वितीय किश्त) की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
001	आबकारी विभाग	आबकारी मंत्री	राजस्व	100.00	...	1
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	राजस्व	25888.00	...	2-3
			पूँजी	363513.27	...	
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	मुख्य मंत्री	राजस्व	231000.00	...	4
020	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	मुख्य मंत्री	राजस्व	4000.00	...	5
026	गृह विभाग (पुलिस)	मुख्य मंत्री	राजस्व	4800.00	...	6-7
			पूँजी	500.00	...	
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री	राजस्व	5.00	...	8-9
			पूँजी	1000.00	...	
037	नगर विकास विभाग	नगर विकास मंत्री				10
			पूँजी	10000.00	...	
038	नागरिक उड्डयन विभाग	नागरिक उड्डयन मंत्री				11-12
			पूँजी	50000.00	...	
042	न्याय विभाग	न्याय मंत्री	राजस्व		440.00	13-14
043	परिवहन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	1.00	...	15
045	पर्यावरण विभाग	पर्यावरण मंत्री	राजस्व	500.00	...	16
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	महिला एवं बाल कल्याण मंत्री	राजस्व	2500.00	...	17
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	लोक निर्माण मंत्री	राजस्व	500.00	...	18-19
			पूँजी	7500.00	...	

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूर्क मांगों (द्वितीय किश्त) की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	लोक निर्माण मंत्री			20
			पूँजी	20000.00	...
059	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	2200.00	... 21-22
060	वन विभाग	वन मंत्री			23-24
			पूँजी	10000.00	...
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	वित्त मंत्री	राजस्व		1.00 25-26
			पूँजी	...	1.00
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण के लिये विशेष घटक योजना)	समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री	राजस्व	6000.00	... 27
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री	राजस्व	63000.00	... 28-29
			पूँजी	2000.00	...
			योग : राजस्व	340494.00	441.00
			पूँजी	464513.27	1.00
			योग :	805007.27	442.00
			कुल योग :	805449.27	

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(क) राज्य के अंग		
2013 - मंत्रि परिषद्	59	77.34
योग : 2013		77.34
2014 - न्याय प्रशासन	42	440.00
योग : 2014		440.00
योग : (क)		517.34
(ख) राज कोषीय सेवायें		
(III). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण		
2039 - राज्य उत्पाद शुल्क	01	100.00
योग : 2039		100.00
योग : (ख)		100.00
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा		
2049 - ब्याज अदायगियां	61	1.00
योग : 2049		1.00
योग : (ग)		1.00
(घ) प्रशासनिक सेवायें		
2051 - लोक सेवा आयोग	20	4000.00
योग : 2051		4000.00
2055 - पुलिस	26	4800.00
योग : 2055		4800.00
2059 - लोक निर्माण कार्य	59	242.00
योग : 2059		242.00
योग : (घ)		9042.00
योग : क		9660.34
ख - सामाजिक सेवायें		
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	31	5.00
योग : 2210		5.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : (ख)	5.00
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		
2216 - आवास	59	1880.66
	योग : 2216	1880.66
	योग : (ग)	1880.66
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	49	2500.00
	योग : 2235	2500.00
	योग : (छ)	2500.00
	योग : ख	4385.66
ग - आर्थिक सेवायें		
(ख) ग्राम विकास		
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	81	6000.00
	83	63000.00
	14	231000.00
	योग : 2515	300000.00
	योग : (ख)	300000.00
(ङ) उर्जा		
2801 - बिजली	09	25888.00
	योग : 2801	25888.00
	योग : (ङ)	25888.00
(च) परिवहन		
3054 - सड़क तथा सेतु	57	500.00
	योग : 3054	500.00
3055 - सड़क परिवहन	43	1.00
	योग : 3055	1.00
	योग : (च)	501.00
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		
3435 - परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	45	500.00
	योग : 3435	500.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : (झ)	500.00
	योग : ग -	326889.00
	राजस्व लेखा	340935.00
पूँजीगत लेखा		
क - सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	26	500.00
	योग : 4055	500.00
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	37	10000.00
	योग : 4070	10000.00
	योग : क -	10500.00
ख - सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
(ख) स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूँजीगत लेखा		
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	31	1000.00
	योग : 4210	1000.00
	योग : (ख)	1000.00
	योग : ख -	1000.00
ग - आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत लेखे		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूँजीगत लेखा		
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	60	10000.00
	योग : 4406	10000.00
	योग : (क)	10000.00
(ङ) उर्जा का पूँजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	09	363513.27
	योग : 4801	363513.27
	योग : (ङ)	363513.27
(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा		
5053 - नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	38	50000.00
	योग : 5053	50000.00
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	83	2000.00
	57	7500.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	58	20000.00
योग : 5054		29500.00
योग : (छ)		79500.00
योग : ग -		453013.27
पूँजीगत लेखा		464513.27
ड - लोक ऋण		
6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
	61	1.00
योग : 6003		1.00
ड - लोक ऋण		1.00
योग : समेकत निधि		805449.27

अनुदान संख्या 001

आबकारी विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-6 व 1 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	21564.18	...	21564.18
	भारित	20.00	...	20.00
प्रथम किश्त	मतदेय	200.00	...	200.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	100.00	...	100.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	21864.18	...	21864.18
	भारित	20.00	...	20.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2039 - राज्य उत्पाद शुल्क

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अधीक्षण

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

100.00

योग : 03

100.00

योग : 001

100.00

योग : 2039

100.00

योग : राजस्व लेखा

100.00

योग : अनुपूरक

100.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आबकारी विभाग के कम्प्यूटराइजेशन हेतु रूपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किस्त के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 77-90 व 6-8 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1270892.25	1050430.89	2321323.14
	भारित	430311.78	5914.86	436226.64
प्रथम किस्त	मतदेय	210000.00	574880.10	784880.10
	भारित	1550.72	...	1550.72
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	25888.00	363513.27	389401.27
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1506780.25	1988824.26	3495604.51
	भारित	431862.50	5914.86	437777.36

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2801 - बिजली

05 - संचरण एवं वितरण

800 - अन्य व्यय

05 - उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फंडिंग

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

25888.00

योग : 05

25888.00

योग : 800

25888.00

योग : 05

25888.00

योग : 2801

25888.00

योग : राजस्व लेखा

25888.00

पूँजी लेखा-----

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

05 - संचरण तथा वितरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

04 - समन्वित विद्युत विकास योजना (आई 0 पी0 डी0 एस 0) के अन्तर्गत वितरण कार्यो हेतु अंशपूँजी (के.60/रा.10/नि.30-के.)

30 - निवेश/ऋण

70000.00

	धनराशि
योग : 04	70000.00
योग : 190	70000.00
योग : 05	70000.00

06 - ग्रामीण विद्युतीकरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

06 - दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यो हेतु अंशपूँजी (के.60/रा.10/नि.30-के.+रा.)

30 - निवेश/ऋण	293513.27
योग : 06	293513.27
योग : 190	293513.27
योग : 06	293513.27
योग : 4801	363513.27
योग : पूँजी लेखा	363513.27
योग : अनुपूरक	389401.27

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. "उदय योजना" के परिचालकीय हानियों की क्षतिपूर्ति हेतु यू.पी.पी.सी.एल. को अनुदान दिये जाने हेतु रूपये 2588800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. समन्वित विद्युत विकास योजना (आई.पी.डी.एस.) के अन्तर्गत अंशपूँजी विनियोजन हेतु रूपये 7000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु अंशपूँजी विनियोजन हेतु रूपये 29351327000 (के251582.67 लाख तथा राज्यांश 41930.60 लाख) की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 101-115 व 19-21 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1409378.03	13382.16	1422760.19
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	662119.23	800.00	662919.23
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	231000.00	...	231000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2302497.26	14182.16	2316679.42
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

101 - पंचायती राज

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना)(के.60/रा.40-के.+रा.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

231000.00

योग : 0103

231000.00

योग : 01

231000.00

योग : 101

231000.00

योग : 2515

231000.00

योग : राजस्व लेखा

231000.00

योग : अनुपूरक

231000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु रुपये 23100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 020

कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 7-12 व 27 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3503.35	...	3503.35
	भारित	6462.95	10.00	6472.95
प्रथम किश्त	मतदेय
	भारित	1486.50	...	1486.50
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	4000.00	...	4000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	7503.35	...	7503.35
	भारित	7949.45	10.00	7959.45

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2051 - लोक सेवा आयोग

103 - कर्मचारी चयन आयोग

03 - उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

2500.00

23 - गुप्त सेवा व्यय

1500.00

योग : 03

4000.00

योग : 103

4000.00

योग : 2051

4000.00

योग : राजस्व लेखा

4000.00

योग : अनुपूरक

4000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं हेतु रूपये 400000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 71-118 व 30-35 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1648740.72	64780.70	1713521.42
	भारित	74.00	...	74.00
प्रथम किश्त	मतदेय	67827.07	27926.85	95753.92
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	4800.00	500.00	5300.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1721367.79	93207.55	1814575.34
	भारित	74.00	...	74.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2055 - पुलिस

110 - ग्राम पुलिस

03 - ग्राम पुलिस अधिष्ठान

01 - वेतन

4800.00

योग : 03 4800.00

योग : 110 4800.00

योग : 2055 4800.00

योग : राजस्व लेखा 4800.00

पूँजी लेखा-----

4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

207 - राज्य पुलिस

24 - अग्निशमन केन्द्र की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

500.00

योग : 24 500.00

योग : 207 500.00

योग : 4055 500.00

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	500.00
योग : अनुपूरक	5300.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ग्राम प्रहरी को बढ़ी दर पर मानदेय के भुगतान हेतु रूपये 480000000 की आवश्यकता ।
2. नये अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना हेतु रूपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-36 व 37-38 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	316336.76	157466.55	473803.31
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	...	1054.95	1054.95
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	5.00	1000.00	1005.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	316341.76	159521.50	475863.26
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलोपैथी

03 - शिक्षा

0381 - मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

1.00

योग : 0381 -

1.00

0382 - मेडिकल कालेज, बस्ती

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

1.00

योग : 0382

1.00

0383 - मेडिकल कालेज, अयोध्या

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

1.00

योग : 0383

1.00

0384 - मेडिकल कालेज, बहराइच

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

1.00

	धनराशि
योग : 0384	1.00
0385 - मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1.00
योग : 0385	1.00
योग : 03	
	5.00
योग : 105	
	5.00
योग : 05	
	5.00
योग : 2210	
	5.00
योग : राजस्व लेखा	5.00

पूँजी लेखा-----

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

03 - चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलोपैथी

78 - मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	1000.00
योग : 78	1000.00
योग : 105	1000.00
योग : 03	1000.00
योग : 4210	1000.00
योग : पूँजी लेखा	1000.00
योग : अनुपूरक	1005.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद के संचालन हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
2. मेडिकल कालेज, बस्ती के संचालन हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
3. मेडिकल कालेज, अयोध्या के संचालन हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
4. मेडिकल कालेज, बहराइच के संचालन हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
5. मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर के संचालन हेतु रूपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
6. मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु रूपये 100000000 की व्यवस्था ।

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-28 व 43-45 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1099440.99	248910.99	1348351.98
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	6000.00	82000.00	88000.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	10000.00	10000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1105440.99	340910.99	1446351.98
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

06 - कुम्भ मेला 2019, इलाहाबाद

24 - वृहत् निर्माण कार्य

10000.00

योग : 06

10000.00

योग : 800

10000.00

योग : 4070

10000.00

योग : पूँजी लेखा

10000.00

योग : अनुपूरक

10000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कुम्भ मेला 2019 प्रयागराज हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 038

नागरिक उड्डयन विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 29-36 व 46-47 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	19841.72	100200.01	120041.73
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	...	80500.00	80500.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	50000.00	50000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	19841.72	230700.01	250541.73
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5053 - नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

02 - विमान पत्तन

800 - अन्य व्यय

21 - जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर मे अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

30000.00

योग : 21

30000.00

22 - अयोध्या में एयरपोर्ट

24 - वृहत् निर्माण कार्य

20000.00

योग : 22

20000.00

योग : 800

50000.00

योग : 02

50000.00

योग : 5053

50000.00

योग : पूँजी लेखा

50000.00

योग : अनुपूरक

50000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जनपद-गौतमबुद्धनगर में जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु रूपये 3000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

2. अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना हेतु रुपये 2000000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 042

न्याय विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 77-103 व 52-56 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	217519.63	145850.99	363370.62
	भारित	41128.53	500.00	41628.53
प्रथम किश्त	मतदेय	4437.01	7715.12	12152.13
	भारित	1828.43	...	1828.43
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय
	भारित	440.00	...	440.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	221956.64	153566.11	375522.75
	भारित	43396.96	500.00	43896.96

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2014 - न्याय प्रशासन

102 - उच्च न्यायालय

03 - उच्च न्यायालय

08 - कार्यालय व्यय

मतदेय	--
भारित	140.00

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय

मतदेय	--
भारित	250.00

47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय

मतदेय	--
भारित	50.00

योग : 03	मतदेय	--
	भारित	440.00

योग : 102	मतदेय	--
	भारित	440.00

योग : 2014	मतदेय	--
	भारित	440.00

योग : राजस्व लेखा	मतदेय	--
	भारित	440.00

योग : अनुपूरक	मतदेय	--
	भारित	440.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मा0 उच्च न्यायालय हेतु विभिन्न मदों में रूपये 44000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 043

परिवहन विभाग

(₹लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	28378.71	12170.68	40549.39
	भारित	0.01	...	0.01
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1.00	...	1.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	28379.71	12170.68	40550.39
	भारित	0.01	...	0.01

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3055 - सड़क परिवहन

800 - अन्य व्यय

03 - मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल

01 - वेतन

1.00

योग : 03

1.00

योग : 800

1.00

योग : 3055

1.00

योग : राजस्व लेखा

1.00

योग : अनुपूरक

1.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना हेतु रुपये 100000 की व्यवस्था । आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।

अनुदान संख्या 045

पर्यावरण विभाग

(₹लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	647.48	...	647.48
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	500.00	...	500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1147.48	...	1147.48
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3435 - परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

04 - प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण

001 - निदेशन तथा प्रशासन

06 - मा0 एन.जी.टी. द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्युनेशन

42 - अन्य व्यय

500.00

योग : 06

500.00

योग : 001

500.00

योग : 04

500.00

योग : 3435

500.00

योग : राजस्व लेखा

500.00

योग : अनुपूरक

500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मा0 एन. जी. टी. द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट एवं रेम्युनेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 049

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किशत के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 183-201 व 60-61 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	728226.37	19901.00	748127.37
	भारित
प्रथम किशत	मतदेय	80628.18	4000.00	84628.18
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2500.00	...	2500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	811354.55	23901.00	835255.55
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

14 - समन्वित बाल विकास योजना

1401 - आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय

07 - मानदेय

2500.00

योग : 1401

2500.00

योग : 14

2500.00

योग : 102

2500.00

योग : 02

2500.00

योग : 2235

2500.00

योग : राजस्व लेखा

2500.00

योग : अनुपूरक

2500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय हेतु रुपये 250000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 25-29 व 65-66 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	11950.00	148152.00	160102.00
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	...	1580.00	1580.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	500.00	7500.00	8000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	12450.00	157232.00	169682.00
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3054 - सड़क तथा सेतु

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

800 - अन्य व्यय

03 - नावों के पुल और नौघाट

29 - अनुरक्षण

500.00

योग : 03

500.00

योग : 800

500.00

योग : 04

500.00

योग : 3054

500.00

योग : राजस्व लेखा

500.00

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

101 - पुल

04 - सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)

0421 - कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)

24 - बृहत् निर्माण कार्य

3950.00

	धनराशि
योग : 0421	3950.00
योग : 04	3950.00
05 - रेलवे उपरिगामी सेतु	
0516 - रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	3550.00
योग : 0516	3550.00
योग : 05	3550.00
योग : 101	7500.00
योग : 04	7500.00
योग : 5054	7500.00
योग : पूँजी लेखा	7500.00
योग : अनुपूरक	8000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नावों के पुल और नौका घाट के अनुरक्षण हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. ग्रामीण सेतुओं के चालू निर्माण कार्यों हेतु रुपये 395000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु रुपये 355000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 31-48 व 67 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	533559.05	1190172.00	1723731.05
	भारित	5.00	1000.00	1005.00
प्रथम किश्त	मतदेय	...	22500.00	22500.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	20000.00	20000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	533559.05	1232672.00	1766231.05
	भारित	5.00	1000.00	1005.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

800 - अन्य व्यय

04 - केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य

0421 - सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के चालू कार्यों के लिए व्यवस्था (के.100/रा.0-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

20000.00

योग : 0421

20000.00

योग : 04

20000.00

योग : 800

20000.00

योग : 04

20000.00

योग : 5054

20000.00

योग : पूँजी लेखा

20000.00

योग : अनुपूरक

20000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यों हेतु रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 059

लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किशत के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 49-67 व 68-70 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	24704.46	14481.72	39186.18
	भारित
प्रथम किशत	मतदेय	1780.15	...	1780.15
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2200.00	...	2200.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	28684.61	14481.72	43166.33
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2013 - मन्त्रि परिषद्

800 - अन्य व्यय

03 - मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों के प्रकीर्ण व्यय

09 - विद्युत देय

77.34

योग : 03

77.34

योग : 800

77.34

योग : 2013

77.34

2059 - लोक निर्माण कार्य

60 - अन्य भवन

053 - रखरखाव तथा मरम्मत

03 - लखनऊ स्थित अतिथि गृहों के लिए व्यवस्था

0301 - अतिथि गृहों पर आवश्यक देयता तथा अन्य व्यय

09 - विद्युत देय

242.00

योग : 0301 -

242.00

योग : 03

242.00

योग : 053

242.00

	धनराशि
योग : 60	242.00
योग : 2059	242.00

2216 - आवास

01 - सरकारी रिहायशी भवन

106 - साधारण पूल आवास

03 - सरकारी कर्मचारी /अधिकारी के सरकारी आवास

0301 - कालोनियों पर आवश्यक देयता तथा अन्य व्यय

09 - विद्युत देय

773.38

योग : 0301

773.38

योग : 03

773.38

योग : 106

773.38

700 - अन्य आवास

09 - विधायकों को आवंटित आवास

0901 - आवासों पर आवश्यक देयता तथा अन्य व्यय

09 - विद्युत देय

1107.28

योग : 0901

1107.28

योग : 09

1107.28

योग : 700

1107.28

योग : 01

1880.66

योग : 2216

1880.66

योग : राजस्व लेखा

2200.00

योग : अनुपूरक

2200.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य सम्पत्ति विभाग के विभिन्न भवनों के विद्युत देयों के भुगतान हेतु रूपये 220000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-20 व 71-73 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	79366.38	20787.20	100153.58
	भारित	13.70	...	13.70
प्रथम किश्त	मतदेय	270.04	133.74	403.78
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	10000.00	10000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	79636.42	30920.94	110557.36
	भारित	13.70	...	13.70

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01 - वानिकी

102 - समाज तथा फार्म वानिकी

03 - सामाजिक वानिकी (सी.सी.एल.)(जिला योजना)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

3000.00

योग : 03

3000.00

05 - पौधशाला प्रबन्धन योजना (सी.सी.एल.प्रणाली)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

7000.00

योग : 05

7000.00

योग : 102

10000.00

योग : 01

10000.00

योग : 4406

10000.00

योग : पूँजी लेखा

10000.00

योग : अनुपूरक

10000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सामाजिक वानिकी योजनान्तर्गत नया अग्रिम मृदा कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये

300000000 की आवश्यकता ।

2. पौधशाला प्रबन्धन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 700000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 061

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

(₹लाख में)

		राजस्व	पूँजी	योग
I. मूल अनुदान	मतदेय	1219947.43	22590.05	1242537.48
	भारित	5422690.12	3046333.39	8469023.51
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय
	भारित	1.00	1.00	2.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1219947.43	22590.05	1242537.48
	भारित	5422691.12	3046334.39	8469025.51

II. लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2049 - ब्याज अदायगियां

01 - आन्तरिक ऋण पर ब्याज

200 - अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

05 - एल.टी.आई.एफ. से लिए गये ऋणों पर देय ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

	मतदेय	--
	भारित	1.00
योग : 05	मतदेय	--
	भारित	1.00
योग : 200	मतदेय	--
	भारित	1.00
योग : 01	मतदेय	--
	भारित	1.00
योग : 2049	मतदेय	--
	भारित	1.00
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	--
	भारित	1.00

पूँजी लेखा-----

6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

105 - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज

05 - एल.टी.आई.एफ. से लिए गये ऋणों का प्रतिदान

30 - निवेश/ऋण

	मतदेय	--
	भारित	1.00
योग : 05	मतदेय	--
	भारित	1.00

		धनराशि
योग : 105	मतदेय	--
	भारित	1.00
योग : 6003	मतदेय	--
	भारित	1.00
योग : पूँजी लेखा	मतदेय	--
	भारित	1.00
योग : अनुपूरक	मतदेय	--
	भारित	2.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. लॉग टर्म इरीगेशन फण्ड से लिए गए ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु रूपये 100000 व्यवस्था । आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
2. लॉग टर्म इरीगेशन फण्ड से लिए गए ऋण के प्रतिदान हेतु रूपये 100000 व्यवस्था । आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 83-108 व 96-101 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	32503.46	8440.29	40943.75
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	47839.97	2939.96	50779.93
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	6000.00	...	6000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	86343.43	11380.25	97723.68
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोगना

02 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

0201 - स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के 60/रा 40-के+रा)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

6000.00

योग : 0201

6000.00

योग : 02

6000.00

योग : 796

6000.00

योग : 2515

6000.00

योग : राजस्व लेखा

6000.00

योग : अनुपूरक

6000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु रुपये 6000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष

घटक योजना)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 115-190 व 102-108 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1534783.38	914094.68	2448878.06
	भारित
प्रथम किश्त	मतदेय	171135.37	4315.08	175450.45
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	63000.00	2000.00	65000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1768918.75	920409.76	2689328.51
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60/रा.40-के.+रा.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

63000.00

योग : 0103 -

63000.00

योग : 01

63000.00

योग : 789

63000.00

योग : 2515

63000.00

योग : राजस्व लेखा

63000.00

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

14 - कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1050.00

	धनराशि
योग : 14	1050.00
15 - रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	950.00
योग : 15	950.00
योग : 789	2000.00
योग : 04	2000.00
योग : 5054	2000.00
योग : पूँजी लेखा	2000.00
योग : अनुपूरक	65000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु रुपये 6300000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. ग्रामीण सेतुओं के चालू निर्माण कार्य हेतु रुपये 105000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्य हेतु रुपये 95000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।